[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं.70/2017–केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 21 दिसंबर, 2017

सा.का.नि.   (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 में,--

(i) प्ररूप जीएसटीआर-1 में, सारणी-6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"6. शून्य दर पूर्तियां और समझे गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			शिपिंग बिल/निर्यात का बिल		एकीकृत कर			केंद्रीय कर			राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर			उपकर
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम	दर	कराधेय मूल्य	रकम	दर	कराधेय मूल्य	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6क. निर्यात															
6ख. विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियां															
6ग. समझे गए निर्यात															
															”;

(ii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01, -

(क) सारणी 7 में, खंड (ज) में, "समझे गए निर्यात का प्राप्तिकर्ता ”शब्दों के स्थान पर "समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता/समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकार” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) विवरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"विवरण 1क [नियम 89(2) (ज)]

प्रतिदाय किस्म : विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

क्रम सं.	प्राप्त पूर्तियों के आवक बीजकों के ब्यौरे			आवक पूर्तियों पर संदत्त कर			जारी जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे			जावक पूर्तियों पर संदत्त कर		
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												";

(ग) विवरण 5क के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय किस्म : समझे गए निर्यातों के लेखे

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	पूर्तिकार द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय की दशा में आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे			संदत्त कर			
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
							;"

(घ) घोषणा [नियम 89(2) (छ)] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"घोषणा [नियम 89(2) (छ)]

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता/पूर्तिकार के लिए)

प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि पूर्तिकार ने उक्त पूर्तियों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि प्राप्तिकर्ता उक्त पूर्तियों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्राप्तिकर्ता ने ऐसी पूर्तियों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय भी नहीं लिया है।

हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम / प्रास्थिति";

वचनबंध

मैं एतद् द्वारा, वचन देता हूँ कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि रिफण्ड की गई राशि के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम / एससीजीएसटी अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ग) में विनिर्दिष्ट अपेक्षायें पूरी नहीं हुई है तो मैं स्वीकृत रिफण्ड की राशि तथा साथ में उस पर लगने वाले ब्याज को लौटा दूँगा।

हस्ताक्षर

नाम--

पदनाम / प्रास्थिति";

(iii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क में,-

(क) सारणी 7 में, खंड (छ) में, "समझे गए निर्यात का प्राप्तिकर्ता "शब्दों के स्थान पर "समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता/समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकार" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) घोषणा : [नियम 89(2)(च)] के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"घोषणा [नियम 89(2) (छ)]

(समझे गए निर्यात का प्रातिकर्ता/पूर्तिकार)

प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि पूर्तिकार ने उक्त पूर्तियों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि प्राप्तिकर्ता उक्त पूर्तियों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्राप्तिकर्ता ने ऐसी पूर्तियों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय भी नहीं लिया है।

हस्ताक्षर

नाम –

पदनाम / प्रास्थिति";

वचनबंध

मैं एतद् द्वारा, वचन देता हूँ कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि रिफण्ड की गई राशि के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम / एससीजीएसटी अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ग) में विनिर्दिष्ट अपेक्षायें पूरी नहीं हुई है तो मैं स्वीकृत रिफण्ड की राशि तथा साथ में उस पर लगने वाले ब्याज को लौटा दूँगा।

हस्ताक्षर

नाम--

पदनाम / प्रास्थिति";

(ग) विवरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"विवरण 1क [नियम 89 (2) (ज)]

प्रतिदाय किस्म : विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

क्रम सं.	प्राप्त पूर्तियों के आवक बीजकों के ब्यौरे			आवक पूर्तियों पर संदत्त कर			जारी जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे			जावक पूर्तियों पर संदत्त कर		
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

												”;

(घ) विवरण 5क के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“विवरण 5ख [नियम 89(2) (छ)]

प्रतिदाय किस्म : समझे गए निर्यातों के लेखे

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	पूर्तिकार द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे			संदत्त कर			
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
							;”

[फाइल सं. 349/58/2017–जीएसटी (भाग)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारतकेराजपत्र, असाधारण, भाग2, खंड3, उपखंड (i) मेंअधिसूचना सं. 3/2017–केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 55/2017–केंद्रीय कर तारीख 15 नवंबर, 2017, जोसा.का.नि. सं. 1411(अ) तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया।